



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28032023-244725
CG-DL-E-28032023-244725

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 186]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 28, 2023/चैत्र 7, 1945

No. 186]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 28, 2023/CHAITRA 7, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2023

सं. 17/2023- सीमाशुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 228(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 की उपधारा (2) के साथ पठित की उपधारा (1) के खंड (क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 61/94-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 21 नवंबर, 1994, जिसे का.आ. 828(अ), दिनांक 21 नवंबर, 1994 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में आगे और निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा -

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, गोवा राज्य से सम्बंधित क्रम संख्या 5 के समक्ष, कॉलम (3) में,

- प्रविष्टि 'डाबोलिम' को '(क) डाबोलिम' के रूप में पढ़ा जा सकता है; और
- प्रविष्टि (क) के बाद और कॉलम (4) में अनुरूप प्रविष्टि के बाद, निम्नलिखित मद एवं प्रविष्टियों को अतः स्थापित किया जाएगा, यथा :-

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विमान पत्तन	उद्देश्य
(1)	(2)	(3)	(4)
		“ (ख) मोपा	आयातित माल की उतराई और निर्यात माल या इसी श्रेणी के माल की लदाई।”।

[फा. सं. CBIC-50394/19/2023-तस्करी-रोधी खंड-CBEC]

आनंद राधाकृष्णन, निदेशक (सीमा शुल्क)

टिप्पणी:-प्रधान अधिसूचना संख्या 61/94-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 21 नवंबर, 1994 को का. आ. 828(अ), 21 नवंबर, 1994 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया था तथा इसमें अंतिम बार भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 16/2023-सीमाशुल्क (गै.टे.) दिनांक 18 मार्च, 2023, सा.का.नि. 201 (अ), दिनांक 18 मार्च, 2023 द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th March, 2023

No. 17/2023-Customs (N.T.)

G.S.R. 228(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) read with sub-section (2) of section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 61/94-Customs (N.T.) dated the 21st November, 1994, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 828 (E), dated the 21st November, 1994, namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 5 relating to the State of Goa, in column (3),

(i) the entry ‘Dabolim’ may be read as ‘(a) Dabolim’; and

(ii) after the entry at (a) and corresponding entry in column (4), the following item and entries shall be inserted, namely:—

SI. No.	State/Union Territory	Airport	Purpose
(1)	(2)	(3)	(4)
		“ (b) Mopa	Unloading of imported goods and the loading of export goods or any class of such goods.”.

[F. No. CBIC-50394/19/2023-Anti Smuggling Section-CBEC]

R. ANANTH, Director (Customs)

Note:-The principal notification No. 61/94-Customs (N.T.), dated the 21st November, 1994 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 828(E), dated the 21st November, 1994 and was last amended by notification number 16/2023-Customs (N.T.) dated the 18th March, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 201(E), dated the 18th March, 2023.